राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), एड्स कन्ट्रोल विभाग, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

9वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन 011-23731958, फैक्स : 011-23731746 ई-मेल usadminnaco@gmail.com वेबसाइट www.nacoonline.org

भारत के 26 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लक्षित कन्डोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध

संदर्भ : ईओआई/सीएसएमपी/III/2010

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), एड्स कन्ट्रोल विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार, मल्टीपल डोनर पार्टनर्स द्वारा पोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-III) के तीसरे चरण को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2012 तक एचआईवी/एड्स महामारी को रोकना एवं प्रतिवर्ती करना है।
2. 26 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में कन्डोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के 2 चरणों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के बाद नाको देश के 3 मिलियन से अधिक आउटलेटों में कन्डोम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रख्यात वाणिज्यिक/सामाजिक विपणन संगठनों को (प्रारम्भ में 1 वर्ष, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 31.03.2012 तक बढ़ाया जा सकता है) शामिल कर इस कार्यक्रम का विस्तार करना चाहता है और वर्ष 2012 तक कन्डोम की वार्षिक मांग बढ़ाकर 3.5 बिलियन करना चाहता है। प्रस्तावित मांग स्तर पर यह भी ध्यान रखा गया है कि एचआईवी/एड्स पारेषण और अनवांछित गर्भ के जोखिम को रोका जा सके।
3. चयनित विपणन संस्थाओं/सामाजिक विपणन संस्थाओं को उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य विनिर्देशित कन्डोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम का डिजाइन करना होगा। इसके अलावा, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, ग्रामीण बाजारों एवं शहरी झुग्गी-झोपड़ियों पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कन्वेंशनल एवं नॉन-कन्वेंशनल आउटलेटों (नॉन कैमिस्ट आउटलेट, पान/सिगरेट की दुकानों, चाय की दुकानों आदि) के माध्यम से कन्डोम की उपलब्धता बढ़ाना; स्थानीय एवं मध्य मीडिया गतिविधियों का संचालन, टारगेटिड इन्टरवेनशन (टीआई), ट्रक ठहराव स्थलों और एमओएचएफडब्ल्यू के आरसीएच/एनआरएचएम इन्टरवेनशनों द्वारा कन्डोम प्रोत्साहित अभियानों को संचालन करने वाले संगठनों के साथ सहयोग करना तथा एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा आपूरित सब्सिडाइज्ड कन्डोम के विपणन द्वारा कन्डोम की उपलब्धता बढ़ाना है।
4. सामाजिक विपणन कार्यक्रम नीचे दिये गये राज्य/राज्यों के समूह के उच्च प्रचलित (हाई प्रिवलेंस) और/या उच्च फर्टिलिटी प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया जाना है:

आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़*
बिहार	केरल	राजस्थान
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	तमिल नाडु और पॉण्डिचेरी*
दिल्ली	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश
गुजरात	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा*	पश्चिम बंगाल
झारखंड	उड़ीसा	गोवा

*इन राज्यों को राज्यों का एक समूह माना जायेगा और इस सूचना के संदर्भ में प्राप्त ईओआई ग्रुप के भीतर सभी राज्यों के लिए होनी चाहिए।

5. इच्छुक संगठनों के पास बिक्री प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, फील्ड एक्टिवेशन एवं वितरण प्रबंधन की अपनी टीम के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में विपणन नेटवर्क होना चाहिए। विकसित एजेंसियों या सरकारों के साथ समान प्रकार के क्षेत्र में पहले सम्पादित सफलतापूर्वक सहयोग संचालन कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी। संगठन के पास मुख्यत: निम्नलिखित क्षमताएं होनी चाहिए:
   (क) व्यापक रिटेल वितरण एवं मांग जनक गतिविधियों की डिजाईनिंग एवं कार्यान्वयन ; और
   (ख) ब्रांड प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन एवं व्यापक रिटेल वितरण नेटवर्क
6. इच्छुक संस्थाओं को अपनी ईओआई जमा करते समय राज्यों/राज्यों के समूह का नाम स्पष्ट दर्शाना होगा। संगठन उपरोक्त दर्शाए गये एक या एक से अधिक राज्य/राज्यों के समूह के लिए अपनी ईओआई जमा कर सकते हैं। विपणन संस्थाओं/सामाजिक विपणन संस्थाओं को प्रत्येक राज्य/राज्यों के समूह के लिए अपनी गतिविधि संचालित करने हेतु अलग-अलग ईओआई जमा करनी होगी।
7. इच्छुक संस्थाओं को संगठनात्मक प्रोफाइल, कार्यरत वर्षों की संख्या, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान सम्पादित समान प्रकार के समझोतों, पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कारोबार और उपलब्ध स्टाफ की दक्षता के साथ सक्षमता विवरण (5 पेज से अधिक नहीं) के साथ उपरोक्त राज्यों में कार्य सम्पादित करने हेतु अपनी योग्यता के समर्थन में सभी सूचनाएं देनी होंगी।
8. ईओआई का मूल्यांकन उपरोक्त पैरा 7 में दर्शाई गई सूचना के समर्थन में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/सूचनाओं के आधार पर किया जायेगा।
9. इच्छुक संस्थाऐं सभी कार्यदिवसों में प्रात: 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया यह नोट करें कि इस चरण में कोई तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों की आवश्यकता नही है। ईओआई के लिए अनुरोध हेतु इस सूचना के संदर्भ में संगठनों द्वारा जमा की गई सूचनाओं के आधार पर नाको द्वारा योग्य संस्थाओं को राज्य/राज्यवार समूह के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा, जिन्हें बाद में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज जारी किये जायेंगे।
10. ईओआई उपरोक्त दर्शाए गये पते पर 19 फरवरी 2010 को अप. 15.00 बजे तक अपर सचिव (ए एण्ड पी) के पास भेजी जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नही किया जायेगा।

अपर सचिव (प्रशासन व अधिप्राप्ति)

एड्स का ज्ञान बचाए जान

22x4col
width 16 cm